राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1158/2016/भीलवाडा
अपील संख्या 1159/2016/भीलवाडा

सहायक आयुक्त
वृत–सी, भीलवाडा। अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स भीलवाडा पेट्रोल पम्प
रोडवेज बस स्टैण्ड, भीलवाडा। प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित
श्री आर. के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।

निर्णय दिनांकः 01·08·2017

निर्णय

ये दोनों अपीलें सहायक आयुक्त, वृत–सी, भीलवाडा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) ने अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 22 एवं 23/वैट/2015–16 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 15.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत धारा 33 में संशोधन कर मांग सृजित की गई है, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपीलें स्वीकार कर संयुक्तादेश दिनांक 15.10.2015 पारित किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी पेट्रोल, डीजल एवं ल्युब्रिकेंट का व्यवसाय करता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिए कर निर्धारण कर, पेट्रोलियम कम्पोजीशन के रिटेल आउटलेट की कम्पोजीशन योजना के तहत करारोपण किया गया था, लेकिन कम्पोजीशन स्कीम की अधिसूचना संख्या 2007–145 दिनांक 09.03.2007 के पैरा संख्या 4(1) के अनुसार चारों त्रैमासिक किश्तें समय जमा नहीं कराने के कारण कम्पोजीशन योजना के पैरा 5(4) के अनुसार कम्पोजीशन राशि मय ब्याज एवं लेटफीस सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में जमा करवाने में असफल रहने के कारण आलोच्य वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिए पारित स्वतः कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत पारित आदेशों को अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधित कर क्रमशः दिनांक 7.04.2015 एवं 29.06.2015 को आदेश पारित कर क्रमशः कर रू. 1,10,654/– व कर रू. 1,00,175/– तथा क्रमशः ब्याज रू. 46,472/– व रू. 54,095/– कुल राशि क्रमशः रू. 1,57,126/– व रू. 1,54,270/–की मांग सृजित की है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की गई, जिससे क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से ये दोनों अपीलें प्रस्तत की गई हैं।

दोनों अपीलें एक व्यवहारी से सम्बन्धित होने तथा निर्णय हेतु विवादित बिन्दु एक समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावे।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के आलोच्य अवधि के मूल कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 26.12.2012 एवं 11.11.2013 को पारित किये गये। उनका कथन है कि कम्पोजीशन स्कीम की अधिसूचना संख्या 2007–145 दिनांक 09.03.2007 के पैरा संख्या 4(1) के अनुसार चारों त्रैमासिक किश्तों समय जमा नहीं कराने के कारण कम्पोजीशन योजना के पैरा 5(4) के अनुसार कम्पोजीशन राशि मय ब्याज एवं लेटफीस सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में जमा करवाने में असफल रहने के कारण आलोच्य वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिए पारित स्वतः कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत पारित आदेशों को अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधित कर क्रमशः दिनांक 7.04.2015 एवं 29.06.2015 को आदेश पारित कर क्रमशः कर रू. 1,10,654/– व कर रू. 1,00,175/– तथा क्रमशः ब्याज रू. 46,472/– व रू. 54,095/– कुल क्रमशः रू. 1,57,126/– व रू. 1,54,270/– की मांग सृजित की है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपास्त किया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि कम्पोजीशन योजना की शर्तो का उल्लंघन करने के कारण कर कम्पोजीशन योजना की शर्त संख्या 4(1) के अनुसार समय पर विलम्ब शुल्क व ब्याज जमा नहीं करवाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कर व ब्याज आरोपित किया है, जो पूर्णतया उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की है, जिसे अपास्त कर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

बावजूद सूचना के प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपील सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए विभागीय पक्षकार की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात एकपक्षीय निर्णय पारित किया जा रहा है।

विभागीय पक्षकार की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार आलोच्य वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिए कर निर्धारण पेट्रोलियम कम्पोजीशन के रिटेल

आउटलेट की कम्पोजीशन योजना के तहत करारोपण किया गया था, लेकिन कम्पोजीश स्कीम की अधिसूचना संख्या 2007–145 दिनांक 09.03.2007 के पैरा संख्या 4(1) के अनुसार चारों त्रैमासिक किश्तें समय जमा नहीं कराने के कारण कम्पोजीशन योजना के पैरा 5(4) के अनुसार कम्पोजीशन राशि मय ब्याज एवं लेटफीस सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में जमा करवाने में असफल रहने के कारण आलोच्य वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिए पारित स्वतः कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत पारित आदेशों को अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन कर क्रमशः दिनांक 7.04.2015 एवं 29.06.2015 को आदेश पारित कर क्रमशः कर रू. 1,10654/– व कर रू. 1,00,175/– तथा क्रमशः ब्याज रू. 46,472/– व रू. 54,095/– कुल क्रमशः रू. 1,57,126/– व रू. 1,54,270/–की मांग सृजित की है।

उक्त दोनों वर्षों के आदेश स्वःकर निर्धारण योजना के तहत् पारित किये गये है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जॉच नहीं की गई है, अतः यह एक रेकॉर्ड की भूल रही है कि व्यवसायी ने कम्पोजिशन योजना के पैरा 5(4) के अनुसार कम्पोजिशन राशि मय ब्याज एवं लेट फीस विहित अवधि में जमा करवाये जाने में असफल रहा। अतः इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेंसी (29) Tax Update 353 लागू नहीं होता है, क्योंकि स्वःकर निर्धारण आदेश स्वतः कर योजना के तहत् पारित आदेश चैतन्य मस्तिष्क द्वारा जॉच कर पारित नहीं किये गये है। यह पत्रावली के रिकार्ड से परिलक्षित भूल (Apparent mistake on record) है, जो रेकॉर्ड से परिलक्षित है। व्यवसायी के पत्रावली के उपलब्ध रेकॉर्ड के अनुसार व्यवसायी ने कम्पोजिशन स्कीम की अधिसूचना संख्या 2007–145 दिनांक 09.03.2007 के पैरा संख्या 4(1) के अनुसार चारों त्रैमासिक कम्पोजिशन राशि विहित समयावधि में जमा नहीं करवायी है, इस प्रकार उक्त कम्पोजिशन स्कीम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी का अधिनियम की धारा 33 में आदेश पारित संशोधित कर क्रमशः दिनांक 7.04.2015 एवं 29.06.2015 को आदेश पारित कर क्रमशः कर रू. 1,10654/– व कर रू. 1,00,175/– तथा क्रमशः ब्याज रू. 46,472/– व रू. 54,095/– कुल क्रमशः रू. 1,57,126/– व रू. 1,54,270/–की मांग सृजित की है।

इसी प्रकार अधिनियम की धार 33 के संदर्भ में **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में निर्णित किया गया है कि गलत दर का जारी किये गये ई.सी. अधिनियम की धारा 33 में संशोधन किया जा सकता है।** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने SB Civil Misc STR No. 107/10 मैसर्स रमेश कुमार बंसल बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रकरण में निर्णय दिनांक 13.12.2011 में यह अभिनिर्धारित किया है कि

कर निर्धारण अधिकारी को 11.08.2006 को अधिसूचना के तहत् जारी मुक्ति प्रमाण पत्र (ई.सी.) का संशोधन करने का अधिकार है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स इण्ड्योर प्रा.लि. के प्रकरण में आदेश दिनांक 07.12.2011 में भी गलत दर से जारी ई.सी. को धारा 33 में संशोधन योग्य माना है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत प्रतीत होता है।

फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया

1/8/17

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य